राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1209/2023

सरोज शर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 31.03.2023
आदेश की दिनांक : 04.04.2023

अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर महिला चिकित्सालय, राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय, अलवर में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2006 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर हुई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.09.2013 (अनुलग्नक—2) द्वारा अपीलार्थी की प्रथम डीएसीपी दिनांक 01.04.2013 से स्वीकृत की गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.02.2016 (अनुलग्नक—4) द्वारा अपीलार्थी को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया, जो कि अपीलार्थी को दिनांक 13.02.2015 को दिए गए आरोपों के मेमो के संबंध में है। अपीलार्थी द्वारा सभी आरोपों का खंडन किया गया। अपीलार्थी का यह भी कहना है कि डीएसीपी/एसीपी एक वर्ष की अवधि के लिए स्थगित कर दिया गया है, अपीलार्थी अप्रेल, 2020 में इसका हकदार है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 07.02.2023 (अनुलग्नक—1) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की प्रथम डीएसीपी दिनांक 01.04.2013 को लागू की गई थी। दिनांक 01.04.2019 को अपीलार्थी की द्वितीय डीएसीपी अपेक्षित है। पूर्व में भी कई बार इसके लिए आवेदन कर चुकी है। अतः दिनांक 01.04.2019 से द्वितीय डीएसीपी दी

जावे परन्तु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को दिनांक 01.04.2019 से द्वितीय डीएसीपी का पारिणामिक लाभ दिया जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य